IJAER/July-August 2017/Volume-6/Issue-1/Article No-3/ 16-21 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

बीसवीं शताब्दी में विभिन्न महिला संगठनों की भूमिका का संक्षिप्त मूंल्याकन

Savita
Govt.Girls Sr.Sec.School
Fatehabad (HR.)

सार–

पूर्ववर्ती शताब्दी में समाज में व्याप्त कुरीतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्त्रियों की असन्तोषजनक स्थिति थी। उनहें पुरूषों की अपेक्षा निम्न समझा जाता था। सती प्रथा, कन्या वध, बालविवाह, बहुपत्नी विवाह, पर्दा प्रथा आदि जैसी अनेक कुप्रथायें महिलाओं का जीवन नरक बनाये हुए थी। उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी तथा वे समाज में पुरूषों की छाया मात्र बनकर रह गयी थी। प्राचीन काल में भारतीय स्त्री को जो स्वतन्त्रता और दर्जा मिला हुआ था, वह कल्पना के परे की बात थी। लगातार कई शताब्दियों तक मुस्लिम शासन के अधीन रहने से स्त्रियों के प्रति एक तरह की उदासीनता की भावना आ गई थो। स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा मनमाने अत्याचार किये जा रहे थे। यद्यपि स्त्रियों को समाज तथा गृह में मान तो था परन्तु समानता की वह भावना नहीं थी जैसे कि आज हम समझते हैं। हिन्दू समाज मुख्यतः पितृप्रधान था तथा घर में पुरूष का ही बोलबाला था। यही नहीं ब्रिटिश राज के प्रारम्भ में तो यह भावना अपने चरम पर थी।

प्रस्तावना–

1707 में अन्तिम मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात राजतंत्र बड़ी तेजी से टूटना शुरू हो गया था, यही कारण था कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही असीमित राजनीतिक अव्यवस्था का दौर प्रारम्भ हो गया। वास्तव में मुगल साम्राज्य और इसके साथ भारत में मराठा आधिपत्य इसलिए समाप्त हुए क्योंकि भारतीय समाज मूल रूप से सड़ा हुआ था, राजस्व पूर्णतया भ्रष्ट और अकर्मण्ड हो गया। इसी क्षीणता और भ्रान्ति के वातावरण में हमारा साहित्य, कला और सत्यधर्म सभी लोप हो गए। मुगल साम्राज्य के विरोधियों ने कोई नया ढांचा स्थापित नहीं किया, इसके पश्चात आने वाले युग में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं दीखती।'' मुगल साम्राज्य के पतन के समय ही काफी लम्बे समय तक तथा बहुत लम्बे क्षेत्र में कोई सत्ता, प्रशासन, कानून या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। यही कारण था कि सामन्तवादी तत्व अत्यधिक मजबत होता जा रहा था तथा सामन्तवादी राज्यों की संख्या भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़नी प्रारम्भ हो गयी थी, जिसमें मराठा, अवध, बंगाल, हैदराबाद तथा कर्नाटक आदि राज्य प्रमुख थे। प्लासी तथा बक्सर के युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिमी पूंजीवाद तथा वहां की सामयिक ओजस्विता के समक्ष हिन्दुस्तान की पतोन्मुख सामन्तवादी सामाजिक दशा शोचनीय थी। समाज को इसी समय अस्थिरता तथा असुरक्षा के दौर से गुजरना पड़ा था, तथा उसके अन्दर एक प्रकार की जड़ता आ गई थी। जो कमजोर थे उन पर बलवानों द्वारा अत्याचार हो रहा था तथा सभी ओर अराजकता का तांडव नृत्य हो रहा था। इसी अराजकता और असुरक्षा के वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक और सर्जनात्मक गतिविधियां होना असम्भव सा था। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया था। विभिन्न समाजसुधारकों के सुधारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप अब नारी को भी अपने उद्धार की आवश्यकता महसूस होने लगी, उसने यह अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था कि हमें अपने अधिकारों के लिए स्वयं ही लड़ना होगा। यही नहीं वरन् इन सब परिस्थितियों में नारी को विभिन्न महिला संगठनों की आवश्यकता का भी अहसास होने लगा। उसे लगा कि महिलाओं की स्थिति को समाज के सामने लाने और उसमें सुधार करने हेतु यह अत्यधिक आवश्यक है कि ऐसे महिला संगठन हों, जो सरकार के सम्मुख महिला का पक्ष उपस्थित कर सकें तथा सरकार पर महिला की स्थिति में सुधार करने हेतु दबाव डाला जा सके। इन्हीं सबसे प्रेरित होकर महिलाओं ने अनेक महिला संगठनों की स्थापना की। इन सभी संगठनों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता दोनों ही उच्च स्तरीय तथा विशेष महत्व की थी। ये महिला संगठन निम्नलिखित हैं–

भारत स्त्री महामण्डलः–

भारत स्त्री महामण्डल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह भारतीय स्त्रियों द्वारा गठित प्रथम महिला मण्डल था। इसकी स्थापना सन् 1910 में श्रीमति सरला देवी चौधरानी के प्रयासों से हुई थी। वास्तव में 1910 में ही सर्वप्रथम महिलाओं ने अपनी समस्याओं को उजागर करने तथा ब्रिटिश सरकार के समक्ष उपस्थित करने हेतु स्त्री संगठन बनाने का निर्णय किया जिसकी परिणति भारत स्त्री महामण्डल के रूप में हुई। इस संगठन में कुछ प्रमुख उद्देश्य थे–

- नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना
- बार विवाह को हतोत्साहित करना
- पर्दा प्रथा को समाप्त करना
- परिवार में महिला की स्थिति को सुधारना
- महिला के हितों की रक्षा करना तथा क्रान्तिकारी आदर्शवादी चेतना तथा सक्रियता पैदा करना
- महिला की विभिन्न समस्याओं को दूर करना।

इस संगठन के माध्यम से ही सर्वप्रथम महिला पक्ष ने संगठन के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था। इनका मानना था कि पर्दे में रहकर महिला का शारीरिक और मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है इसलिए महिला को पर्दे में सीमित नहीं करना चाहिए। इन्होंने महिलाओं को शिक्षित किये जाने पर भी बल दिया था, क्योंकि इनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करके ही महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती हैं तथा अपना जीवनस्तर ऊँचा उठा सकती हैं। इन्होंने महिलाओं को आगे आकर अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु भी प्रेरित किया था ताकि वे परिवार में वही भूमिका निभा सकें जो शरीर में रीढ़ की हड्डी निभाती है तथा अपना विकास कर समाज का सर्वांगीण विकास कर सके।

भारत महिला मण्डलः—

भारत महिला मण्डल महिलाओं का एक अद्वितीय संगठन था। जिसकी स्थापना एक आयरिश महिला जार्थी जिनराजदान ने 1915 में की थी। जार्थी भी सरोजिनी नायडू एवं श्रीमति एनी बेसन्ट की भांति महिला जागरूकता के क्षेत्र में अग्रणी थीं। ये थियोसोफिस्ट एवं आन्दोलनों में सक्रिय सहयोग की भावना से अनुप्रमाणिता थी। इस मण्डल ने अपने द्वारा केवल भारतीय महिलाओं के लिए तो नहीं वरन् यूरोपियन महिलाओं के लिए भी खोल रखते थे। श्रीमति ऐनी बेसेन्ट को सर्वप्रथम मण्डल की अध्यक्षा के पद पर नियुक्त किया गया था। इस मण्डल में महिला से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था तथा उसके सुधार करने का सक्रिय प्रयत्न भी किया गया था। जैसे— प्रथम तो नारी शिक्षा का विकास करना तथा द्वितीय राजनीति में महिलाओं को सम्मानित स्थान दिलाना।

यद्यपि इन्होंने महिला की अनेक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया था परन्तु शिक्षा एवं राजनीति म महिला को अग्रणी बनाना इनका प्रमुख लक्ष्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस मण्डल ने केवल प्राथमिक साक्षरता, प्राथमिक चिकित्सा और सिलाई केन्द्र खोले थे वरन् शिक्षा हेतु प्रौढ़ केन्द्र भी स्थापित किये थे जिनकी शाखायें अलग—अलग स्थानों पर स्थापित की गयी। इसी मण्उल के द्वारा सर्वप्रथम महिला को राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने हेतु एक शिष्टमण्डल भारत विषयक सचिव मांटेस्क्यू के पास 1917 में भेजा गया था। यद्यपि इसे सफलता नहीं मिली थी परन्तु इनका प्रयास इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास था जिसका श्रेय महिलाओं को ही दिया जा सकता है। इस मण्डल में विधवाओं की दयनीय स्थिति की ओर भी ध्यान दिया गया था तथा विधवाओं की स्थिति सुधारने हेतु अनेक स्थानों पर विधवा गृहों की स्थापना भी की गयी। इन विधवा गृहों में ये विधवायें न केवल साधारण जीवन व्यतीत करती थीं वरन् विभिन्न कार्य जैसे सिलाई, बुलाई तथा याद काल द्वारा अपना जीवन सुगमतापूर्वक निर्वाह करती थीं। इस मण्डल ने स्त्रियों से सम्बन्धित घटनाओं में समाचार, मण्डल की गतिविधियों की रिपोर्ट और महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित अनेक लेख प्रकाशित करने हेतु स्त्री धर्म नामक पत्रिका भी प्रारम्भ की थी, जिसमें इनका प्रमुख उपदेश समाज को महिला की स्थिति से अवगत कराना था। इस प्रकार भारत महिला मण्डल ने महिला को समाज की सम्मानित सदस्या बनाने हेतु हर सम्भव प्रयत्न किया था ताकि महिला आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर समाज में अनिवार्य अंग के रूप में जीवनयापन कर सके तथा महिला को सजग नागरिक बनाने का इनका स्थान साभार हो सके।

आन्ध्र महिला सभाः—

महिला को उसके अधिकार दिलाने में आन्ध्र महिला सभा का अत्यधिक योगदान है। आन्ध्र महिला सभा की स्थापना एक दबंग समाजसेविका दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। दुर्गाबाई देशमुख का प्रमुख उद्देश्य स्त्रियों का कल्याण तथा उनकी उन्नति करना था। दुर्गाबाई देशमुख अपने जीवनकाल के प्रारम्भ से ही नारी की दयनीय स्थिति देखकर विचलित थीं, वे नारी को शिक्षित कर समाज में कार्यशील हो आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। आन्ध्र महिला सभा ने विशेष रूप से नारी शिक्षा, विधवा स्त्रियों के लिए अधिकारों की प्राप्ति, नारी जीवन यापन हेतु संरक्षण गृह, नारी का सामाजिक विकास इत्यादि को अपना केन्द्र बिन्दु बनाया था। इस सभा में सम्मिलित सभी महिलाओं का यही मानना था कि एक शिक्षित पुरुष केवल अपने तक ही सीमित रहता है परन्तु एक शिक्षित स्त्री समस्त परिवार की शिक्षा का स्त्रोत है वैसे भी कहावत मशहूर है कि ''शिशु की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है एवं प्रथम गुरू उसकी माता, जो उसे एक सच्चरित्र, सज्जन, कुशल एवं ईमानदार मानव बनने की प्रेरणा देती है। आन्ध्र महिला सभा द्वारा

अनेक नारी शिक्षण केन्द्रों, नारी संरक्षण गृहों की स्थापना की थी, जहाँ पर नारी को व्यवसायिक स्तर की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। नारी संरक्षण गृह में वे नारियां अपना जीवन यापन करती थीं, जिनके पास किन्हीं कारणों से घर का अभाव होता था। वास्तव में आन्ध्र महिला सभा का एकमात्र लक्ष्य था महिला को उसके अधिकार दिलाना जिससे वे एक लम्बे समय से वंचित थी और इसी कार्य को दुर्गाबाई देशमुख ने वकील के रूप में साकार कर दिखाया।

आर्य महिला समाजः–

आर्य महिला समाज का उद्देश्य भी निसन्देह महिलाओं से सम्बन्धित था और वह था महिला की विभिन्न समस्याओं को उजागर करने उनका समाधान ढूँढना। इसकी स्थापना महादेव गोविन्द रानाडे की पत्नी रमाबाई[1] ने की थी। पं. रमाबाई ने अनेकानेक सामाजिक प्रतिरोधों का सामना करते हुए स्वयं पुर्नविवाह करके महिलाओं के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था। यही कारण है कि इनकी गणना समाजसुधारकों की अग्रिम पंक्ति में की जाती है, उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि समाज की समस्त महिलायें बेडियों में बंधकर नहीं वरन् स्वतन्त्रतापूर्वक एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। पं. रमाबाई स्वयं संस्कृत की एक महान विदुषी महिला थी और इसी कारण उन्होंने ऐसे महिला समाज की स्थापना की थी जो विभिन्न शिक्षित महिलाओं का प्रदर्शन कर सके। उन्होंने स्थान–स्थान पर जाकर लोगों को महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक अन्याय से अवगत कराया था ताकि भारतीय समाज भी महिलाओं की शोचनीय एवं दयनीय स्थिति के प्रति जागरूक हो सके। उन्होंने विधवाओं की स्थिति सुधारने हेतु भी सराहनीय प्रयास किया था तथा भारतीय महिलाओं विशेषकर विधवाओं को शिक्षा प्राप्त करन हेतु प्रेरित भी किया था।

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन :–

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1926 में की गयी थी, जिसने नारी शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में नारी विकास व्यवसायिक स्तर पर नारी की स्थिति में सुधार तथा अन्य महिला सम्बन्धी अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य किया था ताकि नारी की स्थिति में सुधार हो सके। यह धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से संचालित एक विशुद्ध भारतीय महिला संगठन था। 1926 में इस महिला सम्मेलन के संस्थापकों में से एक आयरिश महिला मार्गरेट कजिन्स कुछ महिला समाजसुधारकों से मिली जैसे– सराजिनी नायडू, बेगम साहिबा ऑफ भोपाल, सरला राय, कमलादेवी चटोपाध्याय तथा राजकुमारी अमृत कौर इत्यादि और महिला से से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार–विमर्श किया गया। 1927 में पूना में इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। 8 जनवरी 1927 को आयोजन पूना के इस सम्मेलन की अध्यक्षता बड़ौदा की महारानी चिचनबाई गायकवाड ने की। इसी सम्मेलन में स्त्रियों के अधिकार, उन पर लगे विभिन्न रूढ़िवादी बन्धनों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अखिल भारतीय सम्मेलन में महिला पर लगे विभिन्न प्रतिबन्धों जैसे– बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि को न केवल दूर करने का प्रयत्न किया बल्कि 1927 का बाल विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल था। जब 1927 में इसके विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रकाश डाला गया तो स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। जिसे प्राथमिकता दी गयी ताकि भारतीय नारी शिक्षित होकर अपना उद्धार स्वयं कर सके। 1930 में अखिल भारतीय महिला परिषद का तीसरा अधिवेशन सनोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ, परन्तु इस अधिवेशन में पहले की अपेक्षा ओर अधिक सक्रिय प्रयास किये गये जिससे नारी को अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए। इस अधिवेशन में प्रमुख लक्ष्य थे–

- महिलाओं की उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून में ओर अधिक सुधार।
- महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं काम करने को उचित सुविधायें दिलवाना।
- महिला को राजनीति में स्थान दिलवाना।

इन सभी लक्ष्यों की प्रगति के लिए अखिल भारतीय महिला परिषद ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किये। सर्वप्रथम अपने लक्ष्य की प्रगति हेतु ये महिलाओं का प्रतिनिधि मण्डल लेबर कमीशन से मिला तथा उन्हें श्रमिकों की स्थिति से अवगत कराया। 1980 में बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला कॉंग्रेस के अधिवेशन में इस संस्था ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। महिला शिक्षा की स्थिति का पता लगाने तथा सुधार करने हेतु एक निरीक्षण संस्था भी नियुक्त की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि हर साल महिला दिवस मनाया जाए।
यही नहीं वरन् इस संस्था ने अनेक उल्लेखनीय कार्य भी किये जैसे–

- 1932 में लेडी डरविन होम साइंस कॉलेज की स्थापना की गयी।
- सेव द चिल्ड्रन फंड कमेटी की स्थापना की गयी जो आगे चलकर 1943 में इण्डियन कांउसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के रूप में बदल गयी।
- बहु विवाह का विरोध किया तथा विवाह में अत्यधिक आडम्बरों एवं व्यय को कम करके मितव्ययता लाने का प्रयास किया गया।

- 1937 में परिवार नियोजन का विचार सरकार के सामने रखना तथा उसके लिए सक्रिय प्रयास भी किया गया।
- स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्पत्ति का अधिकार दिलाने हेतु प्रयास किया गया।
- जो बच्चे कुष्ठ रोगों से पीड़ित हैं उनके लिए बालघर स्थापित किया गया।
- जो बच्चे मानसिक रोग से पीड़ित हैं उनके लिए विद्यालय खोलने का प्रयास सर्वप्रथम इसी संस्था ने दिया।
- 1927 में भारत के सबसे पहले बाल चिकित्सालय की स्थापना की जहॉं बच्चों की चिकित्सा ही की जाती थी।
- कामकाजी महिलाओं के लिए महिलावास (हॉस्टल) की स्थापना में योगदान दिया।
- 1951 में मद्रास में सबसे पहले कैंसर अस्पताल एवं शोध केन्द्र की स्थापना में सक्रिय सहयोग दिया।
- जो महिलाएं सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से पीड़ित हैं उन महिलाओं के लिए 1965 में बापून घर की स्थापना हेतु सराहनीय कार्य किया।
- दहेज उन्मूलन अधिनियम पास करवाने में योगदान।
- वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम पास करवाने में योगदान।
- तलाक अधिनियम पास करवाने में योगदान।
- विशेष विवाह अधिनियम पास करवाने में योगदान।
- उत्तराधिकार अधिनियम पास करवाने में योगदान।

इस प्रकार अखिल भारतीय महिला परिषद ने ऐसा कोई भी महिला से सम्बन्धित पक्ष नहीं छोड़ा जहॉं उन्हें दयनीय स्थिति का सामना करना पड़े। इन्होंने महिलाओं के उद्धार हेतु जो कार्य किये उससे महिला की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ तथा उन्हें विभिन्न अधिकार भी प्राप्त हुए। 1927 में जब मुथुलक्ष्मी रेड्डी को मद्रास विधान परिषद का सदस्या मनोनीत किया गया, जो भारत की प्रथम महिला विधायिका बनीं तो यह इन्हीं के प्रयासों का प्रतीफल था। यही नहीं वरन् अखिल भारतीय महिला परिषद ने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए भी प्रयत्न किया था, जिसके फलस्वरूप ही 1935 में भारत सरकार अधिनियम में महिलाओं को मतदान का सीमित अधिकार दिया गया। यहां तक कि 1940 तक तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम संगठन बन गया था। 1941 में इस सम्मेलन में अपनी गतिविधियों को जनता के सम्मुख रखने के लिए रोशनी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया था ताकि महिलाऐं स्वयं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। यही नहीं बल्कि जब कामकाजी दम्पत्ति की संयुक्त आय पर कर लगाने की बात सामने आयी, तब अखिल भारतीय महिला परिषद की कार्यकर्ताओं ने ही इसे महिला की प्रगति में बाधक बताकर इसको स्थगित करा दिया था और अन्ततः महिलाऐं इस कर के बोझ से बची रहीं। इसी प्रकार यूनिफोर्म सिविल कांड लाने के लिए भी इस संस्था ने अत्यधिक प्रयत्न किया है।

अतः कहा जा सकता है कि महिला से सम्बन्धित ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं विकास के लिए अखिल भारतीय महिला परिषद में सक्रिय कदम न उठाया जो चाहे वह क्षेत्र, बाल कल्याण, महिला शिक्षा, श्रमिक महिला, महिला हेतु मताधिकार की प्रगति से ही सम्बन्धित क्यों न हों? यही नहीं वरन् अखिल भारतीय महिला परिषद ने अन्य महिला संगठनों के कार्यक्रमों में पर्याप्त सहयोग दिया ताकि वे उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते थे और उन्हीं के माध्यम से अखिल भारतीय महिला परिषद का स्वयं भी साकार हो सके। यही नहीं अखिल भारतीय महिला परिषद की एक सदस्य अशोक गुप्ता तो 21 स्वयं सेविकाओं के साथ गाधीवादी आन्दोलन में सम्मिलित हो गयीं। अतः इनका गांधीवादी आन्दोलन में भी पर्याप्त योगदान रहा था।

राष्ट्रीय स्त्री सभाः–

मुम्बई में राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन महिलाओं के द्वारा किया गया था। यह पहला महिला संगठन था जिसे केवल महिलाओं ने ही संचालित किया था अर्थात् राष्ट्रीय स्त्री सभा के गठन में किसी पुरुष का लेशमात्र भी योगदान नहीं था। राष्ट्रीय स्त्री सभा ने अपने कार्यक्रम को प्रमुख दो बिन्दुओं को आधार बनाकर प्रारम्भ किया था–

- स्वराज्य की प्राप्ति।
- महिलाओं की स्थिति में सुधार करके उनका उद्धार एवं सुधार करना ताकि वे समाज की सम्मानित सदस्या बन सकें।

ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित थे उदाहरण के लिए स्वराज्य को प्राप्त करने का प्रमुख साधन खादी और सूत कातना था, जिसमें महिलायें सक्रिय सहयोग दे सकती थीं। जैसे– स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि आज

भी जब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का अर्थ भारत को स्वतन्त्र कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाना है तब भारतीय महिलाओं को भी हाथ के कते और हाथ के बने खद्दर के कपड़े पहनना अपना पुनीत कर्तव्य बना लेना चाहिए। स्वराज्य प्राप्त करने का स्वदेशी एक अमोध उपाय है। स्वदेशी के प्रचार का मुख्य भार भारतीय स्त्रियों पर ही है और उन्हें यह अवसर चूकना नहीं चाहिए। और दूसरी तरह महिलाओं का उद्धार तभी हो सकता था जब उन्हें राजनीति में पर्याप्त एवं उचित स्थान प्राप्त हो जिससे महिलाऐं अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ सके। अतः स्पष्ट है कि महिला उद्धार और देश का उद्धार एक ही सिक्के के दो पहलू थे अर्थात महिला उद्धार होने पर देश की उन्नति स्वयं ही हो जाती। राष्ट्रीय स्त्री सभा की समस्त महिला कार्यकर्ताओं ने मुम्बई में खादी के प्रचार में ही नहीं वरन् 1921 में प्रिन्स ऑफ वेल्स की यात्रा के विरोध में भी सक्रिय योगदान दिया था। इस स्त्री सभा ने अनेक प्रकार की गतिविधियों जैसे– स्त्री शिक्षा, खादी भंडारी की स्थापना हरिजनों की शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि में ही नहीं वरन् धन द्वारा भी सक्रिय योगदान दिया था। जब तिलक कोष की स्थापना हुई तो इसी स्त्री सभा की महिला कार्यकर्ताओं ने इसमें भी योगदान धन देने हेतु धन एकत्रित किया था, यद्यपि गांधी जी ने इस धन को लेने से इन्कार कर दिया परन्तु महिलाओं के द्वारा किये गये अथक प्रयास को नकारा नहीं कर सकता। इस प्रकार राष्ट्रीय स्त्री सभा ने महिला को उसके अधिकार दिलाने में एक अग्रणीय कदम उइाया था तथा साथ ही साथ महिलाओं को अत्यधिक मात्रा में राजनीति में अग्रसर होने हेतु प्रेरित भी किया था।

भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषदः–

भारतीय महिलाओ की राष्ट्रीय परिषद अखिल भारतीय महिला परिषद से सम्बन्धित थी। इसकी स्थापना 1925 में की गयी थी जिसमें संचालन में महेरबाई टाटा ने अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस परिषद ने भी स्थिति में सुधार को ही प्रमुख केन्द्र बिन्दु माना था। इसमें महिलाओं स सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु भरसक प्रयत्न किया गया था जैसे– पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा इत्यादि तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय प्रयास किया गया था। परन्तु इस संस्था को विशेष सफलता नहीं मिल पायी थी जिसके अनेक कारण थे–

- इस परिषद में विशिष्ट वर्ग की महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व किया गया था।
- इस परिषद द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही होते थे जिससे देशी एवं हिन्दी भाषा की ज्ञाता महिलायें अपने हित की कार्यवाही को जानने में असमर्थ रह जाती थीं।
- इसका मुख्य कारण यह था कि अखिल भारतीय स्तर पर होने के कारण इसमें देश–विदेश के अनेक भागों की महिलाएं सम्मिलित होती थीं जबकि आम महिलाओं को इसमें स्थान नहीं दिया जाता था जो स्वयं अपनी समस्यायें परिषद के सामने रखने में अधिक समर्थ थी।

अतः यह कहा जा सकता है कि यह परिषद अत्यधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी परन्तु फिर भी स्त्री सुधार के क्षेत्र में इसके प्रयास को नगण्य नहीं कहा जा सकता।

स्त्री जरथोस्टी मण्डलः–

स्त्री जरथोस्टी मण्डल पारसी महिलाओं का संगठन था। यद्यपि इसके अधिकांशतः पारसी महिलायें ही थीं परन्तु उन्होंने इस मण्डल के द्वारा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खोल रखे थे। इनका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना था, ताकि महिलाएं जिस क्षेत्र में रूचि लें, उसी क्षेत्र में उन्हें काम करने का अवसर प्राप्त हो अर्थात वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें। इस मण्डल की समस्याऐं अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में केवल पारसी महिलाओं को ही नहीं वरन् समस्त वर्गों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया करती थी, जिससे एक ओर तो उन्हें अपनी कला को उजागर करने का अवसर प्राप्त होता था, वहीं दूसरी ओर उनमें भेदभाव की भावना का भी अन्त होता था।

वर्ल्ड यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशनः–

वर्ल्ड यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना सन् 1856 में हुई थी, परन्तु धीरे–धीरे इसकी अनेक शाखाऐं भारत में विभिन्न भागों में अस्तित्व में आयी थी जैसे– 1875 व 1897 इत्यादि वर्षों में। इन संस्था द्वारा भी महिला की स्थिति सुधारने हेतु भरसक प्रयत्न किया गया था। जिसके प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित थे–

- सभी आयु वर्ग की स्त्रियों जैसे– गृहणियों, बालिकाओं तथा कामकाजी महिलाओं इत्यादि के लिए क्लब की स्थापना।
- छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु छात्रावासों की स्थापना।
- कामकाजी महिलाओं को सुविधा प्रदान करने हेतु हॉस्टल की स्थापना।
- शैक्षणिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना।

- बालकल्याण केन्द्रों की स्थापना।
- परामर्श ब्यूरो एवं अतिथिग्रहों की स्थापना।
- महिला से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को दूर करने में योगदान।

इस प्रकार वर्ल्ड यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन एक स्वतन्त्र संस्था है जिसका उद्देश्य महिला को समाज में वे समस्त अधिकार दिलाना है जिसकी वे अधिकारिणी हैं और जिसमें वे सफल भी रही हैं।

निष्कर्ष

महिला की स्थिति को सुधारने में स्वयं महिलाओं ने अनेक संगठनों की स्थापना कर अत्यधिक योगदान दिया है जैसे– स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह का निषेध, बहुपत्नी प्रथा का विरोध इत्यादि परन्तु फिर भी इन संगठनों के संचालन में कुछ खामियां रही हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता जैसे– ये संगठन महिलाओं को आर्थिक सहायता देने में असमर्थ रहे हैं, ये केवल उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ये संगठन नागरिक अधिकारों को प्रोत्साहन देने में असमर्थ रहती है वरन् ये महिलाओं की कुछ समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दे पाये जैसे कि जो विधवायें आश्रय के लिए विभिन्न कठिन दौरों से गुजर रही हैं उन्हें आश्रय प्रदान करना, पुरूष वासनाओं से ग्रसित महिलाओं को न्याय दिलाना तथा उनके फिर से आत्मसम्मान एवं लड़ने की क्षमता जाग्रत करना इत्यादि। यद्यपि इन संगठनों में महत्वपूर्ण एवं अमूल्य योगदान को नगण्य नहीं कहा जा सकता परन्तु यह भी ज्ञातव्य है कि इन संगठनों के प्रयासों के परिणामस्वरूप भी महिलाओं को विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहन करने हेतु विवश होना पड़ता है साथ ही साथ इन संगठनों का भारतीय समाज में अस्तित्व अवश्य विद्यमान है परन्तु इनकी संख्या एवं प्रभाव बहुत कम है जिससे महिलाओं विशेषकर ग्रामीण एवं अशिक्षित महिलाओं की स्थिति अभी भी दयनीय ही बनी हुई है। यही कारण है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु अत्यधिक महिला संगठनों की स्थापना एवं प्रचार–प्रसार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थसूची–

1. मैक्समूलर, एफ. रामकृष्ण, ''हिज लाइफ एण्ड सेइंग्स'', 1899.
2. मजूमदार, आर.सी., ''द हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ इण्डियन पीपुल'', खण्ड–2, (1960) 567 खण्ड–3 (1962), भारतीय विद्या भवन, बम्बई.
3. मित्तल, डा. ए.के., ''भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (1707–1950), साहित्य भवन, दिल्ली.
4. हबीब इरफान, ''द अगरेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया'', पृ. 338–339.
5. पाण्डेय, डा. धनपति, ''आधुनिक भारत का इतिहास'', मीनाक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1988.
6. सरकार, जे.एन., ''फाल ऑफ द मुगल एम्पायर'', भाग–प्ट पृ. 343–44.
7. वर्मा, हरिश्चन्द्र, ''मध्यकालीन भारत'', खण्ड–2, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, 1993.
8. चौपडा, पी.एन. पुरी, बी.एन. दास, एम.एन., ''भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास'', मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली, 1975.
9. चौपडा, पी.एन., पुरी बी.एन., दास एम.एन., ''भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास'', मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली, 1975.
10. चन्द्र, सतीश, ''राम एस्पैक्ट ऑफ इण्डियन विलेज सोसाइटी इन नोर्थ इण्डिया ड्यूरिंग द एटिन सेन्चुरी'', भाग– I, 1974.
11. गुप्त, विश्वप्रकाश व गुप्त मोहिनी, ''राम मोहन राय व्यक्ति और विचार'', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1996.
12. ग्रोवर, बी.एल., ''आधुनिक भारत का इतिहास'', एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, 1981.